

17.10.2023

पत्रावली पेश हुई । वाद पुकारा गया। परिवादी की हाजरी माफी प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता योजना शर्मा द्वारा प्रस्तुत। सुना। स्वीकार। अभियुक्त की हाजरी माफी/स्थगन प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश ध्यानी द्वारा प्रस्तुत। सुना। स्वीकार। पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अ0 धारा 251 द0प्र0स0 हेतु दिनांक 04.12.2023 को पेश हो।

अनीता गुंज्याल
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
17.10.2023